^^mRrjk[k.M lHkh ds fy;s f'k{kk ifj"kn**
jkT; ifj;kstuk dk;kZy;
uuwj [ksM+k] rikou ekxZ] jk;iqj nsgjknwu
email-uadpep@vsnl.net
☎@Fax : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

fufonk lwpuk

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्, ननूर खेडा, रायपुर,,देहरादून की ओर से 31 मार्च 2012 अथवा अगली निविदा आमंत्रण की तिथि तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये कार्यालय प्रयोग हेतु किराये के वाहनों उपलब्ध करवाने हेतु अनुभवी, पात्र एवं प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता ऐजेन्सी / फर्मो / संस्थाओ से सीलबन्द निविदायें दिनांक 06.07.11, 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 05.07.11 तक कार्यालय दिवसों मे 10.30 पूर्वान्ह से 4.30 बजे सायं तक नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निविदा से सम्बन्धित नियम / शर्ते / जानकारी, निविदा फार्म के साथ विभागीय वेबसाइट http://ssa.uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

ह0
राज्य परियोजना निदेशक
राज्य परियोजना कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक – रा0प0का0 / 508 / लेखा / निविदा / 2011–12 दिनांक 09 जून 2011

प्रतिलिपि – सूचना निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अमर उजाला व दैनिक जागरण के देहरादून संस्करण में न्यूनतम स्पेस मे निर्धारित डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल 2 प्रतियों मे जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित करा कर इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करवाने का कष्ठ करें।

प्रशासनिक अधिकारी
राज्य परियोजना कार्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

^^mRrjk[k.M lHkh ds fy;s f'k{kk ifj"kn**
jkT; ifj;kstuk dk;kZy;
uuwj [kMk]rikou ekxZ]jk;iqj nsgjknwu
email-uadpep@vsnl.net
☎@Fax : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

dk;kZy; iz;ksx gsrq fdjk;s ds okgu miyC/k djkus lEcU/kh

fufonk iz=

क्र0 सं0 …………

विक्रय दिनांक …………………… निविदा मूल्य– ₹570.00/–

फर्म का नाम (जिसे जारी किया गया) ……………………………………(Non refundable)

……………………………………

सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूर खेडा, देहरादून को कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा आगामी निविदा तिथि के लिए देहरादून के अनुभवी व इस प्रकार की सेवा हेतु सेवाकर में पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरों से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा के दो भाग होंगे *rduhdh fufonk* एवं *foRrh; fufonk*। निविदादाताओं की अर्हता, अनुभव तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण (प्रपत्र–1 पर) के साथ एक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में ''तकनीकी निविदा'' एवं एजेन्सी/फर्म का नाम अंकित होगा। धरोहर राशि के रूप में रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) की राशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ0डी0आर0या बैंक गारंटी के रुप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो। निविदा प्रपत्र कार्यालय दिवसों में दिनांक 10.06.11 से 05.07.11, 5 बजे तक नकद/ड्राफ्ट जोकि राज्य परियोजना निदेशक के नाम देहरादून में देय हो, से भी प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड फार्म के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य का ड्राफ्ट भी साथ होना चाहिए।

निविदा प्रपत्र की शर्तो व नियमों से सम्बन्धित जिज्ञासा व संशय दूर करने हेतु दिनांक 27.06.11 को 3. 00 बजे अपरान्ह पूर्व निविदा बैठक (प्रिबिड कोन्फ्रेस) का आयोजन राज्य परियोजन कार्यालय के सभागार में किया जायेगा । वित्तीय निविदा में केवल प्रपत्र–2 पर विभिन्न श्रेणियों के (केवल डीजल) वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेंगी। इस प्रपत्र को एक अन्य लिफाफे में रखा जायेगा जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में ''वित्तीय निविदा''लिखा जायेगा। वित्तीय निविदा तथा तकनीकी निविदा के लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा जिस पर ''किराये के वाहनों हेतु निविदा'' तथा निविदादाता का नाम लिखा जायेगा।

निविदा दिनांक 06.07.11 को 2.00 बजे अपरान्ह तक राज्य परियोजना कार्यालय में रखे सील बन्द टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकेंगी। निर्धारित समय तक डाक से प्राप्त होने वाली निविदायें भी कार्यालय द्वारा स्वीकार की जायेंगी, किन्तु डाक से होने वाले विलम्ब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी निविदा दिनांक 06.07.11 को अपरान्ह 3:30 बजे निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी, जिसके लिए समय निविदा समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु निविदादाताओं को ससमय सूचित कर दिया जायेगा।

ik=rk dh vko';d 'kr &

1. निविदादाता फर्म को किराये की टैक्सी उपलब्ध करवाने सम्बन्धी सेवा हेतु पंजीकृत एजेन्सी होना चाहिये।
2. निविदादाता को सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में न्यूनतम 02 वर्षों का सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व अथवा साझेदारी में न्यूनतम 3 डीजल चालित टैक्सी परमिट वाले वाहन वर्ष 2009 एवं बाद के मेक माडल तथा अन्य डीजल चालित टैक्सी परमिट वाले वाहन वर्ष 2008 एवं बाद के मेक माडल पंजीकृत होना आवश्यक होगा तथा सम्बन्धित वाहनों की तकनीकी वैद्यता अवधि कालातित नहीं होनी चाहिए।
4. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का विगत दो वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम ₹ 10.00 प्रति वर्ष लाख होना चाहिये, तथा इन वर्षो में फर्म घाटे में नहीं रही हो।
5. निविदादाता फर्म के विरूद्व कोई शासकीय बकाया अथवा न्यायालय का दण्डात्मक आदेश एवं कोई वाद न हो, जिसके लिए शपथ पत्र साक्ष्य देना होगा।

okguk dh ekx ,o vkifr&

राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद को सामान्यतः 06 (छः) कार (अम्बेस्डर, इंडिका, बोलरो या इंडिगो आदि) नियमित रूप से मासिक आधार पर आवश्यकता होगी। मासिक आधार पर आपूर्ति किये जाने वाला 3 okgu o"k 2009 rFkk vU; okgu o"k 2008 से पूर्व का मेक माडल निर्मित नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त समय–समय पर अन्य वाहनों की भी आवश्यकता पड़ती रहती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से नियमित आवश्यकतानुसार वाहनों की आपूर्ति करनी होगी।

सफल निविदादाता/निविदादाताओं को कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबन्ध की अवधि प्रारम्भिक तौर पर 31 मार्च 2012 तक होगी। दोनो पक्षों की सहमति की दशा में इसे एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता से किया गया अनुबंध समाप्त किया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

p;u ifØ;k &

निविदा हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा प्राप्त तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को ही इस हेतु निर्धारित तिथि व समय पर समिति द्वारा खोला जायेगा।

वित्तीय निविदा में प्रतिवाहन मूल दर तथा कर आदि अलग–अलग स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। डीजल चालित वाहनों के प्रकार के अनुसार ए0सी0 / नान ए0सी0, पहाड़ / मैदान, दूरी ;कि0मी0, दिन आदि मानकों को ध्यान में रखते हुये दरें अंकित की जाय। वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 के टिप्पणी कालम में मानकों के अनुसार दरों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं की तुलना विगत वर्षो में वाहनों के औसत चालन की कुल लागत के आधार पर की जायेगी, तुलनात्मक विवरण के आधार पर जिस निविदादाता की दरें सबसे कम होंगी, उसे सफल घोषित किया जायेगा। मासिक आधार पर व दैनिक आधार पर अथवा अलग अलग प्रकार के वाहनों के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं को चयनित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जायेगा व अनुबंध किये जाने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। चयनित निविदादाता के निर्धारित समय तक अनुबंध हेतु उपस्थित न होने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व अगले निविदादाता को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

tekur jkf'k (Security Money)- सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर रूपये 50000.00 (पचास हजार मात्र) / एक माह के देयक के बराबर धनराशि (अनुमानित), जो भी अधिक हो, को एक हजार के पूर्णाकं तक ग्रहण करते हुए, की जमानत राशि राज्य परियोजन निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद देहरादून के नाम एफ. डी. आर. अथवा बैंक गारंटी के रुप में जमा करना आवश्यक होगा, जो कि अनुबन्ध किये जाने के पश्चात् कम से कम 18 माह की अवधि तक वैध हो, जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायगी।

1. अनुबन्ध की अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में प्रतिभूति का नवीनीकरण कराने का दायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता का होगा। प्रतिभूति अनुबन्ध समाप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।

Hkqxrku& किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 1 माह के अन्तराल में किया जायेगा। बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तव्य स्थान, गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी यात्रा उदेश्य यात्रा उदेश्य आदि विवरण प्रपत्र–3 पर संलग्न करना होगा। लॉग बुक में मासिक आधार पर किये गये वाहन सम्बन्धि प्रविष्ठियां सम्बन्धित द्वारा की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी लॉग बुक की प्रविष्टियों को भी सत्यापित करेगा। भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर राज्य परियोजना निदेशक का निर्णय अंतिम होगा निर्णय होगा।

fufonk dh vU; fu;e ,o 'krZ

प्रश्नगत निविदा के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूर खेडा, रायपुर, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में निम्नांकित fu;e ,o 'krZ लागू होंगी, जिनकी पुष्टि में आवश्यक साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरुप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. फर्म/एजेन्सी का सेवा पंजीकरण, पैन न0, आयकर रिर्टन की विगत दो वित्तीय वर्षो की प्रति एवं वाहनों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी से पंजीकरण प्रपत्रों (फिटनेस तथा वाहन बीमा, रोड टैक्स आदि) की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदादाता को विगत 02 वर्षों का शासकीय विभाग में सेवा प्रदाता अनुभव प्रमाण पत्र एवं इस अवधि में विभिन्न विभागो में किये गये कार्य के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व/साझेदारी में न्यूनतम 5 टैक्सी वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा, सम्बन्धित वाहन की तकनीकी वैद्यता अवधि कालातित नहीं होनी चाहिए। मासिक आधार पर 3 वाहन वर्ष 2009 तथा अन्य वाहन वर्ष 2008 के मेक माडल होना आवश्यक है। अन्य वाहन उपलब्ध करवाने हेतु सफल निविदादाता को अन्य वाहन स्वामियों के साथ 100/– रू0 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी एवं ट्रेवल एजेन्सी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के क्रम में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
4. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह आपूर्ति किये जा रहे वाहनों के पंजीकरण/करों की देयता इत्यादि औपचारिकतायें आपूर्ति से पूर्व सुनिश्चित कर ले एवं तद्आशय का प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वाहन परिवहन विभाग से टैक्सी श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिए।
5. उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर रोपित किये जाने वाले समस्त करों एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म उत्तरदायी होंगी।
6. चालक का मानदेय, वाहन का रख–रखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, को सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म द्वारा वहन करना होगा।
7. प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म को अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की यात्राओं में प्रदेश के बाहर देय करों तथा टोल टैक्स का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
8. सामान्यतः मांग के अनुसार वाहन की कार्य करने की अवधि 11 घंटे होगी जो प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक नियत होगी। उक्त समय सीमा का निर्धारण राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर किया जायेगा जो सफल निविदाता फर्म/एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा। शासकीय कार्यो की आकस्मिकताओं के आधार पर वाहनों का प्रयोग नियत अवधि से अधिक समय तक भी किया जा सकता है।

9. मासिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनो को प्रत्येक माह में एक दिवस (कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा। प्रयेाग में लाये जा रहे वाहनो में यात्रा के समय तकनीकी खराबी या अन्य कारणों के लिए सेवा प्रदाता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

10. मासिक आधार पर अनुबंधित किये गये वाहन का किराया वित्तीय बिड में अंकित न्यूनतम दरो से जायेगा, माह के कुछ दिनो मुख्यालय से बाहर उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत की गई यात्राओं पर भी वही लागू होगा। मुख्यालय से बाहर की गई यात्राओं हेतु रात्रि विश्राम की दशा में 200/– प्रति रात्रि की दर पृथक से भुगतान राशि चार्जेज देय होगा।

11. यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म/सेवा प्रदाता के बिल में से उतनी राशि की कटौती कर ली जायेगी जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।

12. सेवा प्रदाता के वाहन चालकों के पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभवन व पर्वतीय क्षेत्र का ड्राईविंग लायसेंस होना आवश्यक होगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मोबाईल फोन रखना होगा। जिसका रख–रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म स्वामी का होगा। सेवा प्रदाता द्वारा वाहन चालक को परिवर्तित करने से पहले राज्य परियोजना कार्यालय को 3 दिन पहले सूचित करना होगा। अन्यथा किसी भी क्षति का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा।

13. वाहनों के संचालन की गणना राज्य परियोजना कार्यालय एवं यात्रा करने वाले अधिकारी के आवास से की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम मीटर रिडिंग की अंकना रनिंग रजिस्टर में करते हुए सत्यापन किया जायेगा। वाहन द्वारा गैराज से अधिकारी के आवास अथवा वापसी में एक ओर की यात्रा हेतु वास्तविक दूरी अथवा 05 किमी जो भी कम हो की दूरी अनुमन्य होगी। सेवा प्रदाता के वाहन चालकों को वाहन के रख–रखाव, साज–सज्जा, सफाई, अनुसाशन, आज्ञापालन एवं समयबद्धता का विशेष पालन करना होगा। वाहन चालक के किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान परियोजना द्वारा नहीं किया जायेगा। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में परियोजना कर्मी द्वारा किये जाये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति सेवा प्रदाता द्वारा करनी होगी।

14. सेवा प्रदाता के वाहन चालकों को ड्यूटी के दौरान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करनी होगी। जिसका व्यय सेवा प्रदाता किया जायेगा।

15. निदेशक राज्य परियोजना उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद देहरादून को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

jkT; ifj;kstuk funs'kd
mRrjk[k.M lHkh ds fy;s f'k{kk ifj"kn
uuwj [kMk] jk;iqj]
nsgjknwu

^^mRrjk[k.M lHkh ds fy;s f'k{kk ifj"kn**
jkT; ifj;kstuk dk;kZy;
f'k{kk ladqy] uuwj [ksMk] jk;iqj] nsgjknwu

☎@Fax : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

izi= & 1
rduhfd fcM¼fdjk;s ds okguks gsrq½

1- निविदादाता फर्म / सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम – ....

....

....

2- पता /फोन नं0 – ....

....

....

3- प्रोप्राइटर / भागीदारों के नाम/पते– ....

....

....

4- निविदादाता फर्म / एजेन्सी के स्वंय स्वामित्व वाले वाहनो का विवरण –

क्र0 सं0	रजिस्ट्रेशन नं0	मोडल (वर्ष) मेक माडल	रजिस्ट्रेशन की तिथि	वाहन स्वामी का नाम	वाहन का प्रकार (एम्बेसडर, इण्डिका, इण्डिगो, सूमो)	अन्य विवरण (वैधता तिथि)			
						परमिट	फिटनैस	रोड़ टैक्स	बीमा
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

5- सेवाकर पंजीकरण सं0/विवरण –

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6- फर्म का आयकर पंजीकरण विवरण –
(प्रमाण एवं गत दो वर्षों का रिर्टन पत्र संलग्न करें)

7- गत दो वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर –
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8- धरोहर राशि का विवरण –
डी0डी0 नं0 –
दिनांक –
बैंक/शाखा का नाम –

9- कोई अन्य सूचना –

(कोई सरकारी देयाता या वाद न होने का प्रमाण)

10-संलग्नकों का विवरण –

नोटः– आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पृष्ठ लगायें।

¼fufonknkrk d: gLrk{kj½
ekgj

^^mRrjk[k.M lHkh ds fy;s f'k{kk ifj"kn**
jkT; ifj;kstuk dk;kZy;
f'k{kk ladqy] uuwj [ksMk] jk;iqj] nsgjknwu
☎@Fax : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

iii= & 3

Format of Duty Slip

(Print Name of the company & Address)

Sl. No. .... Date ....

(to be filled by contractor)

1. Regn. No. of Vehicle ....
2. A/C or Non-A/C ....Model & year ....
3. Name, Designation & address of user ....

   ....
4. Purpose of Journey (detail) ....
5. Places visited ....
6. Meter Reading at Starting Point ....at closing Point.................
7. Total KMs Run ....
8. Time at starting point .... at closing point........................
9. Charges for Parking / Toll Tax etc...
10. Number of Night Halts (for outstation journey only)...

Signature of User

Driver's Name & Signature

^^mRrjk[k.M lHkh ds fy;s f'k{kk ifj"kn**

jkT; ifj;kstuk dk;kZy;

uuwj [kssMk] rikou ekxZ]jk;iqj]nsgjknwu

☎@Fax : 0135- 2781941, 2781942, 2781943

ii=&2

<u>foRrh; fcM ¼fdjk;s ds okgu gsrq½</u>

Ø0 l0	okgu dk izdkj		okgu dh ,ojst izfr fd0eh				fdjk;s dh nj ¼:0 esa½			djks dk fooj.k ¼;fn dksbZ gks½	vU; fooj.k
			पर्वतीय क्षेत्रों		मैदान क्षेत्रों		ekfld सभी मार्गो में	nSfud			
			साधारण डीजल	हाई स्पीड डीजल	साधारण डीजल	हाई स्पीड डीजल		ngjknwu जिलk के अन्दर	ngjknwu जिला के बाहर		
1-	अम्बेसडर कार	AC									
		Non AC									
2-	इण्डिका	AC									
		Non AC									
3-	इण्डिगो	AC									
		Non AC									
4-	वेलेरो	AC									
		Non AC									
5-	स्कार्पियो	AC									
		Non AC									
6-	टैवेरा	AC									
		Non AC									
7-	इनोवा	AC									
		Non AC									

डीजल की खपत उक्त अनुपात के अनुसार कुल चले गये किलोमीटर के आधार पर आगणित किया जायेगा एवं तत्समय के प्रमाणित बाजार दरों के अनुसार डीजल भुगतान किया जायेगा। साथ ही हाई स्पीड डीजल की दर चार्ज करने पर डीजल क्रय पर्चीयों की मूल प्रतियॉ बिल के साथ देनी होगी।

मैं लिखित रुप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा की सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिये मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रूपये 100.00 के गैर अदालती स्टैम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये राजी हूँ। मैने सभी शर्तो का भली भांति अध्ययन कर लिया है।

हस्ताक्षर
दिनांक
निविदादाता का नाम
एजेन्सी की मुहर